IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

नीलगिरी काम्पलैक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226016

पत्रांक : 1404 / सी.ए.पी. / दिनांक : 28 / 06 / 2024

अधिसूचना

परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन सं०– बी–11, के भू–स्वामी के आवेदन दिनांक 05.12.2003 व 12.12.2003 द्वारा भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव को आवास आयुक्त (म०) द्वारा दिनांक 20.12.2003 को अनुमोदित किया गया था।

मा० न्यायालय के रिट सी सं०– 10329 / 2010 के आदेश दिनांक 12.04.2023 व कंटेम्पट एप्लिकेशन (सिविल) सं०– 2220 / 2024 के अनुपालन में प्रश्नगत सम्पत्ति का भू–उपयोग ले–आउट में आवासीय से व्यवसायिक किए जाने के परिवर्तन हेतु शासनादेश सं०– 2438 / 9–आ–3–98–60 एल०यू०सी० / 96 दिनांक 13.10.1998 के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन / संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के समान किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव उपरोक्तानुसार प्रस्तावित सम्पत्ति के व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। सभी आपत्ति एवं सुझाव **आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ** को सम्बोधित और लिखित रूप में ई–मेल से भी cap@upavp.com पर प्रेषित की जा सकेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से एक पक्ष की अवधि में प्राप्त होंगे।

आवास आयुक्त